अध्याय IV
जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस अध्याय में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2018-19 और 2019-20 में किए गए जीएसटी लेनदेन की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आए थे। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

4.1 लेखापरीक्षा जांच

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, हमने मुख्य रूप से ट्रांजिशनल क्रेडिट, जीएसटी पंजीकरण और प्रतिदाय की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। जीएसटी विवरणी की लेखापरीक्षा अभी शुरू की जानी है क्योंकि दिसंबर 2018 तक 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मूल नियत तिथि को बाद में सांतरित तरीके से 5/7 फरवरी 2020[49] तक बढ़ाया गया। इसी प्रकार, 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मूल नियत तिथि दिसंबर 2019 को बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020[50] कर दिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद के आगामी पैराग्राफ में शामिल किया गया है:

भाग क : ट्रांजिशनल क्रेडिट

4.2 प्रस्तावना

जीएसटी जिसमें कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया है, को शुरू करने और लागू करने के साथ पुरानी कर व्यवस्था से जीएसटी में सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों और व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से बताने की भी आवश्यकता थी। यह विशेष रूप से उन पूर्व-जीएसटी करों से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था, जो *जीएसटी प्रशासन में (इसके बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में संदर्भित)* जीएसटी के आरंभ के दिन करदाताओं के पास उपलब्ध थे।

---

[49] अधिसूचना संख्या 6/2020-सीटी दिनांक 3 फरवरी 2020

[50] प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24 अक्टूबर 2020

सरकार और व्यापार दोनों के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिए, इन क्रेडिट को उचित रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन करों का लाभ दिया जा सके जो उन्होंने पहले ही पूर्व जीएसटी प्रशासन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किया था। सरकार के दृष्टिकोण के मद्देनजर, स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि जीएसटी राजस्व के नकद प्रवाह की सीमा निर्धारित करेगी और इसलिए राजस्व के हित में, केवल स्वीकार्य और पात्र ट्रांजिशनल क्रेडिट को जीएसटी में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

4.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित प्रावधान

4.3.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने के लिए शर्तें

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 में आईटीसी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। इस धारा में कंपोजीशन करदाता के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंत: शेष को सीजीएसटी के रूप में अग्रेषित करने और निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एसजीएसटी के रूप में राज्य वैट अधिनियमों के अंतर्गत इनपुट क्रेडिट को करने का प्रावधान है। महत्वपूर्ण शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क) पूर्व जीएसटी संविधियों के अंतर्गत दर्ज किये गये पिछले विवरणी में दिए गए क्रेडिट को अग्रेषित किया जा सकता है

ख) इस तरह के क्रेडिट को जीएसटी अधिनियम और पूर्व - जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए

ग) जीएसटी के आरंभ होने से पहले कम से कम छ: महीने के लिए विवरणी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

एक पंजीकृत व्यक्ति, जो पूर्व-जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, या जो छूट प्राप्त माल/सेवाओं या पहले/दूसरे चरण के विक्रेता या किसी उत्पादक के पंजीकृत आयातक या डिपो से व्यापार कर रहा था, वह भण्डार में रखे गए आदानों और भण्डार में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल के इनपुट के संबंध में, उसे योग्य शुल्क के अग्रेषण का पात्र है। इसके लिए निर्धारित महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास

चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए, ऐसी जानकारियों के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, जो नियत दिन (अर्थात 1 जुलाई 2017) से तुरंत पहले बारह महीने से पूर्व जारी नहीं किए
गए थे।

4.3.2 ट्रांजिशनल क्रेडिट विवरणी के लिए समयबद्धता

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117 में प्रावधान है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट के हकदार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी के आरंभ होने के 90 दिनों के भीतर जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उद्घोषणा दाखिल करनी होती है। इस नियम में जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा 90 दिन की अवधि बढ़ाने का भी प्रावधान है। इस प्रकार, सीजीएसटी *नियमावली ने शुरू में ट्रान-1 फाइल करने के लिए अधिकतम 6 महीने का प्रावधान किया था।* हालांकि, जो करदाताओं जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक ट्रान-1 फाइल नहीं कर सके, उनकी सुविधा के लिए परिषद की सिफारिशों पर ट्रान-1 के लिए तारीख को 31 मार्च 2020 से आगे की अवधि तक बढ़ाने का प्रावधान इस नियम में डाला[51] गया था।

ट्रान-1 को दाखिल करने या संशोधित करने की नियत तिथि, जो *मूल रूप से 28 सितंबर 2017 थी*, को समय-समय पर अंतिम समय सीमा के साथ 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है:-

[51] अधिसूचना संख्या 02/2020-सीटी दिनांक 1 जनवरी 2020।

आदेश की तिथि	विस्तारित नियत तिथि	विस्तार का कारण
18 और 21 सितम्बर 2017	31 अक्टूबर 2017	ट्रान-1 विवरणी जमा करने की नियत तिथि ट्रान-1 में संशोधन की सुविधा के लिए बढ़ा दी गई थी।
28 अक्टूबर 2017	30 नवम्बर 2017	विस्तार के लिए कोई विशेष कारण नहीं मिला लेकिन जीएसटी परिषद ने ट्रान-1 के संशोधन के लिए कार्यात्मकता के विकास में देरी के बारे में चर्चा की।
15 नवम्बर 2017	27 दिसम्बर 2017	जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई समय सीमा और जीएसटीएन के साथ चर्चा के आधार पर, जमा करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई।
17 सितम्बर 2018	कुछ मामलों में 31 जनवरी 2019 तक	सार्वजनिक पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण, जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित विस्तार, पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक ट्रान-1 जमा नहीं कर सके।
31 जनवरी 2019	कुछ मामलों में 31 मार्च 2019 तक	
7 फरवरी 2020	कुछ मामलों में 31 मार्च 2020 तक	

4.4 ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए सीबीआईसी के निर्देश

सीबीआईसी ने सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के संदर्भ में समय-समय पर निर्देश जारी किए, जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है:-

i. सितंबर 2017 में, सीबीआईसी ने अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिया कि वे पूर्ववत कानूनों के तहत दायर विवरणी में अंत: शेष राशि के साथ ट्रांजिशनल विवरणी में दावा किए गए क्रेडिट का मिलान करके

₹ एक करोड़ से अधिक के आईटीसी के दावों को सत्यापित करें, और जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत क्रेडिट की पात्रता की जांच करें।

ii. 1 दिसंबर 2017 के निर्देशों के माध्यम से, क्षेत्रीय संरचनाओं को विशेष देखभाल के साथ ₹ एक करोड़ से अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामलों का सत्यापन करने और उसके बाद प्राप्त क्रेडिट के घटते क्रम में सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे।

iii. सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2018) ने दर्शाया कि केंद्रीय कर कार्यालय उन सभी करदाताओं के मामले में सीजीएसटी के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन करेंगे, चाहे करदाता को केंद्रीय या राज्य कर कार्यालय को आवंटित किया गया था या नहीं। सीबीआईसी ने केंद्रीय कर कार्यालयों के साथ डाटासेट के साथ सीजीएसटी क्रेडिट के चिन्हित 50,000 मामलों की सूची भी साझा की और उन्हें मार्च 2019 तक सत्यापन पूरा करने को कहा गया। सितंबर 2020 में मंत्रालय ने बताया कि सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा 37,622 ट्रान-1 घोषणाओं का सत्यापन किया गया है।

4.5 डीओआर/सीबीआईसी द्वारा ट्रान-1 डाटा प्रस्तुत न करने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा करने में असमर्थता

डाटा विश्लेषण करने और ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान करने और लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों/मामलों का चयन करने के लिए हमने राजस्व विभाग से ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित डाटा प्रदान करने का अनुरोध किया। निरंतर अनुरोधों के बावजूद, हमें वि.व.19 और वि.व.20 के दौरान मांगा गया डाटा[52] प्रदान नहीं किया गया था।

डाटा के अभाव में, हम इकाइयों में जिन्हें हमने अन्य राजस्व संबंधी जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया था ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की केवल सीमित लेखापरीक्षा ही कर सके थे। हमें लेखापरीक्षा को ज्यादातर उन ट्रान-I मामलों तक सीमित किया, जिन्हें विभाग द्वारा पहले ही

[52] ट्रांजिशनल क्रेडिट डाटा अब जुलाई 2020 में प्रदान किया गया है।

सत्यापित किया जा चुका था, क्योंकि जीएसटी आईटी प्रणाली के माध्यम से अन्य ट्रान-I उद्घोषणाओं तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी।

4.6 ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा

ट्रांजिशनल क्रेडिट के महत्व को देखते हुए, जीएसटी में पारगमन के दौरान एकल-गतिविधि और जीएसटी प्रशासन में राजस्व प्रवाह पर इसके प्रभाव के मद्देनजर, हमने 2018-19 और 2019-20 में अपने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित किया।

व्यक्तिगत मामलें पाये गये और इन मामलों के आधार पर पहचानी गई प्रणाली की खामियों को आगामी पैराग्राफ में शामिल किया गया है।

4.6.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा का विहगांवलोकन

अक्टूबर 2018[53] से मार्च 2020 की अवधि के दौरान, हमने 81 केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरियों और पांच लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में 626 रेंजों और 29 डिवीजनों की लेखापरीक्षा किया। हमने इन इकाइयों में 77,363 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 5,822 का सत्यापन किया और ₹ 543.70 करोड़ की धन राशि के साथ 1,182 मामलों में (20 प्रतिशत) चूक पाई। सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को टिप्पणियों के रूप में जारी किए गए 1,182 मामलों में से, 325 चूक में प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख से अधिक धनराशि थी और 857 चूक में प्रत्येक मामले में धनराशि ₹ 10 लाख से कम थी।

इस प्रतिवेदन में 36 कमिश्नरियों से संबंधित 105 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को शामिल किया गया है, जिसमें नीचे दिए गए ₹ 86.11 करोड़ की धनराशि को शामिल (***परिशिष्ट- IV***) किया गया है:-

---

[53] अक्टूबर 2018 से पहले नोट की गई ऑडिट आपत्तियां 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 में बताई गई हैं।

(₹ करोड़ में)

पाये गये मामले	शामिल कमिश्नरी	मामलों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति की राशि
पारगमन में इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	4	18	36.77
क्रेडिट के रूप में पूर्व व्यवस्था के उपकर का अनियमित लाभ	13	16	4.52
अनुमेय अवधि के बाद लेखों में दर्ज भण्डार पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	11	13	6.67
सेनवेट क्रेडिट के अतिरिक्त अग्रेषण	12	13	4.01
छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	6	7	7.16
भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	1	5	7.69
ईआर-1/एसटी-3 विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	4	4	2.34
ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा जो इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के दायरे में नहीं आता है	3	3	0.69
ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं	15	26	16.26
कुल		**105**	**86.11**

इन 105 मामलों में से, मंत्रालय ने ₹ 21.18 करोड़ की राशि से जुड़े 44 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 15 मामलों में ₹ 3.60 करोड़ की वसूली की जानकारी दी। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

4.6.2 पारगमन में इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

कराधान नियमावली, 2011 में प्रावधान है कि जिस समय किसी सेवा को प्रदान किया माना जाएगा, वह पहले (1) बीजक या भुगतान की तारीख से पहले होगा, जो भी पहले हो (यदि बीजक सेवा के प्रावधान को पूरा करने की तारीख से निर्धारित अवधि के अंदर जारी किया जाता है) (2) सेवा या भुगतान के प्रावधान को पूरा करने की तारीख, जो भी पहले हो (यदि ऊपर की तरह निर्धारित अवधि के अंदर बीजक जारी नहीं किया जाता है जैसा कि ऊपर दिया गया है) (3) अग्रिम भुगतान प्राप्त करने की तिथि होगी।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 8.1 को सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है कि शुल्क भुगतान दस्तावेज मौजूद है और करदाता से पुष्टि करता है और शुल्क या कर भुगतान दस्तावेज़ कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लेखे में दर्ज किए गए थे।

चयनित चार[54] सीजीएसटी कमिश्नरियों में 333 में से 167 ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान अठारह मामलों में यह देखा गया कि करदाताओं ने अनियमित रूप से ट्रान-1 उद्घोषणा की तालिका 7(बी)[55] के अंतर्गत ₹ 36.77 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। ट्रान-1 की तालिका 7(बी) के माध्यम से पारगमित सेनवेट क्रेडिट के विवरण में बीजक विवरण की जांच के दौरान, हमने पाया कि करदाताओं ने अनियमित रूप से सेनवेट क्रेडिट को अग्रेषित किया था, जिन्हें नियत तिथि से पहले बीजक बद्ध किया गया था। कराधान नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, ये इनपुट सेवाएं पहले ही बीजक की तारीख अर्थात 30 जून 2017 से पहले ही मिल चुकी थीं। तदनुसार, क्रेडिट को ट्रान-1 उद्घोषणा की तालिका 7(बी) की अपेक्षा तालिका 5(ए)[56] के माध्यम से लिया जाना आवश्यक था। इसलिए ₹ 36.77 करोड़ की ऐसी इनपुट सेवाओं पर दावा किए गए अनियमित क्रेडिट को वसूल करने की आवश्यकता है।

---

54 बेलापुर, भिवंडी, मुंबई दक्षिण और पुणे ।

55 तालिका 7 (बी): धारा 140 (5) और धारा 140 (7) के तहत इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क और कर/वैट की राशि।

56 तालिका 5 (ए): केंद्रीय कर (धारा 140 (1), धारा 140 (4) (ए) और धारा 140 (9) के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए आगे बढ़ाया सेनवेट क्रेडिट की राशि

हालांकि इन मामलों का विभाग द्वारा सत्यापन किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई खामियों का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इस विषय में बताया (नवंबर 2018 और मई 2019 के बीच), तो विभाग ने सूचित किया कि सात मामलों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे और करदाताओं ने दो मामलों में क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (जुलाई और अक्टूबर 2019 के बीच) कि प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर क्रेडिट से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि जीएसटी एक नई कर योजना है, इसलिए करदाताओं द्वारा ऐसी प्रक्रियात्मक गलतियां करने की संभावना थी।

हालांकि विभाग ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि प्रक्रियागत चूक हुई, अत: ऐसे क्रेडिट की स्वीकृति के संबंध में विभागीय तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि करदाता द्वारा एक ही बीजक पर दो बार अर्थात् तालिका 5(ए) के माध्यम से और फिर तालिका 7(बी) के माध्यम से क्रेडिट का दावा करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभाग को उपरोक्त मामलों के लिए इस पहलू की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

4.6.3 क्रेडिट के रूप में पूर्ववर्ती व्यवस्था के उपकर की अनियमित प्राप्ति

कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 2017 के माध्यम से, शिक्षा उपकर (ईसी), माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उपकर (एसएचईसी), स्वच्छ भारत उपकर (एसबीसी) और कृषि कल्याण उपकर (केकेसी) को 1 जुलाई 2017 से समाप्त कर दिया गया था और इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में जीएसटी व्यवस्था के लिए अग्रेषण अयोग्य हो गया था। इसे मार्च 2018 में सीबीआईसी के निर्देशों से भी स्पष्ट किया गया था।

धारा 140 (9) में यह निर्धारित किया गया है कि जहां मौजूदा कानून के अंतर्गत प्रदान की गई इनपुट सेवाओं के लिए प्राप्त किसी भी सेनवेट क्रेडिट का तीन महीने की अवधि के अंदर भुगतान न करने के कारण रिवर्स कर दिया गया है, वहां इस तरह के क्रेडिट का इस शर्त के अधीन पुनः दावा किया जा

सकता है कि पंजीकृत व्यक्ति ने नियत दिन से तीन महीने की अवधि के अंदर सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान किया है।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 4.1.1 के अनुसार सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि लिया गया क्रेडिट विरासतीय सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी घटा उपकर में क्रेडिट के अंत शेष से अधिक नहीं होना चाहिए।

हमने 12[57] कमिश्नरियों में 16 मामलों में पाया कि करदाता ने ₹ 4.52 करोड़ के ट्रान-1 में उपर्युक्त उपकरों का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था ***(परिशिष्ट-IV),*** जो अस्वीकार्य था।

जब हमने इस विषय में बताया (सितंबर 2017 से मार्च 2019 के बीच), तब मंत्रालय ने नौ मामलों में टिप्पणी स्वीकार करते हुए (अगस्त तथा दिसम्बर 2020 के बीच) सात मामलों में ₹ 1.71 करोड़ की वसूली की सूचना दी। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

चेन्नई आउटर कमिश्नरी के अंतर्गत पल्लवराम डिवीजन के अलांदूर आउटर रेंज में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान हमने पाया कि एक करदाता ने ईसी, एसएचईसी और केकेसी के संबंध में ₹ 44.40 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया था। करदाता ने ईसी, एसएचईसी और केकेसी के संबंध में अधिनियम की धारा 140 (9) के संदर्भ में ₹ 41.23 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट को भी पुनः प्राप्त किया। चूंकि ये उपकर अग्रेषित करने योग्य नहीं हैं, इसलिए कुल ₹ 85.63 लाख की राशि की वसूली करने आवश्यकता है। हालांकि विभाग द्वारा इस मामले का सत्यापन किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा इस चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इस विषय में बताया (सितंबर 2019), तब मंत्रालय ने आपत्ति (अगस्त 2020) को स्वीकार करते हुए कहा कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, चूक का पता न लगाने के कारणों के

---

[57] बेंगलुरु ईस्ट, चेन्नई आउटर, दिल्ली साउथ, दिल्ली ईस्ट, हैदराबाद (ऑडिट-1), बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ, हावड़ा, वडोदरा-I, अहमदाबाद साउथ, विशाखापट्टनम और गुरुग्राम

संबंध में, यह कहा गया था कि विभाग ने जनवरी और जून 2019 में की गई सेवा कर आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान चूक का पता लगा लिया था।

इस चूक का पता न चलने के संबंध में मंत्रालय का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकार्य है। हालांकि विभाग ने ₹ 44.40 लाख के अनियमित अग्रेषण का पता लगाया था, लेकिन उसने ₹ 41.23 लाख के पुन: दावा किए ट्रांजिशनल क्रेडिट का पता नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 44.40 लाख के अनियमित अग्रेषण के संबंध में तब तक एससीएन जारी नहीं किया था जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता को इंगित नहीं किया गया था।

4.6.4 अनुमेय अवधि के बाद बही खातों में दर्ज भण्डार पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (5) के अनुसार, 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद प्राप्त इनपुट सेवाओं के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है, जिसके संबंध में शुल्क या कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के अंतर्गत इस शर्त के अधीन किया गया है, कि बीजक या उससे कोई अन्य शुल्क या उससे अधिक भुगतान करने वाला दस्तावेज नियत दिन से (1 जुलाई 2017) तीस दिनों की अवधि के अंदर ऐसे व्यक्ति के लेखों में दर्ज किया गया था। पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, तीस दिनों की अवधि को आयुक्त द्वारा तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 8.1 के अनुसार सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वार इस बात के सत्यापन की आवश्यकता है कि शुल्क भुगतान दस्तावेज मौजूद हैं और करदाता से पुष्टि करते हैं कि शुल्क या कर भुगतान दस्तावेज़ कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लेखों में दर्ज किए गए थे।

11 कमिश्नरियों[58] में, 13 मामलों के संबंध में, हमने ऊपर उद्धृत प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 6.67 करोड़ ***(परिशिष्ट-IV)*** के राजस्व सहित ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ देखा।

जब हमने इस विषय में बताया (नवंबर 2018 से फरवरी 2020 के बीच) तो मंत्रालय ने 10 मामलों में टिप्पणी स्वीकार करते हुए सूचना दी (अगस्त से दिसम्बर 2020 के बीच) दो मामलों में ₹ 40.19 लाख की वसूली की। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

चेन्नई उत्तर सीजीएसटी कमिश्नरी के अंतर्गत एग्मोर डिवीजन के एग्मोर III रेंज में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, हमने देखा कि एक करदाता ने ट्रान-1 घोषणा की तालिका 7(बी) के अंतर्गत ₹ 24.59 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। यह देखा गया कि 30 दिनों की अनुमेय अवधि से अधिक लेखों में 914 बीजक दर्ज किए गए थे, जो अधिनियम के अंतर्गत अग्रेषण योग्य नहीं थे। अपात्र ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि ₹ 3.36 करोड़ थी, जिसे करदाता से वसूल किया जाना है।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2019), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2020) कि ₹ 3.36 करोड़ रुपये के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4.6.5 सेनवेट क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रेषण

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है जो मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके द्वारा इस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्धारित दिन से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में लेने की पात्र होगी। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक

---

[58] दमन, चेन्नई उत्तर, कोयंबटूर (ऑडिट), हैदराबाद (ऑडिट-1), विशाखापत्तनम (ऑडिट-1), वडोदरा-II, तिरुचिरापल्ली, कोलकाता उत्तर, बोलपुर, अहमदाबाद दक्षिण और गांधीनगर

कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य हो।

इसके अतिरिक्त, धारा 50 (3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर चौबीस प्रतिशत से अधिक अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अतिरिक्त दावे पर या ऐसे अनुचित या अधिक छूट पर ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 4.1.1 सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि लिया गया क्रेडिट विरासतीय सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी में क्रेडिट के स्वीकार्य अंत शेष से अधिक नहीं होना चाहिए।

12 कमिश्नरियों[59] में, 13 मामलों के संबंध में, हमने ऊपर उद्धृत प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 3.84 करोड़ ***(परिशिष्ट-IV)*** के राजस्व वाले अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट का अनियमित रूप से अग्रेषण करते हुये पाया।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2017 से अगस्त 2020 के बीच), तो मंत्रालय ने सात मामलों में टिप्पणी स्वीकार करते हुए एक मामले में ₹ 77.08 लाख की वसूली की सूचना दी (सितंबर से दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

कोच्चि कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज 4 में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, हमने देखा कि एक करदाता ने सेनवेट क्रेडिट विवरण के अनुसार उपलब्ध ₹ 9.25 करोड़ के प्रति 2016-17 की दूसरी छमाही के लिए एसटी-3 विवरणी के अनुसार ₹ 9.99 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके

---

[59] बेंगलुरु ईस्ट, चेन्नई साउथ, कोयंबटूर, कोच्चि, दिल्ली ईस्ट, दीमापुर ईस्ट, गुवाहाटी, पुणे ।, बेंगलुरु नॉर्थ, दिल्ली वेस्ट और मेदचल

परिणामस्वरूप ₹ 73.60 लाख का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त हुआ था जिसे रिवर्स करने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2017), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (सितंबर 2019) इस विषय में बताया कि करदाता ने अतिरिक्त क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था।

4.6.6 छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य पंजीकृत व्यक्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके द्वारा इस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्धारित दिन से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में लेने का पात्र होगा। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को वहां क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उक्त क्रेडिट सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार ऐसी छूट अधिसूचनाओं के तहत निर्मित तथा निकासित माल से संबंधित हो।

इसके अतिरिक्त, धारा 50 (3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में जैसा भी मामला हो, चौबीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी दर पर अनुचित या अधिक कमी पर, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर ब्याज का भुगतान करेगा।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि यदि केवल छूट प्राप्त माल का निर्माण किया जा रहा था, तो सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर) के नियम 6(2) ने सेनवेट रजिस्टर में किसी भी क्रेडिट की अनुमति नहीं दी और इसलिए, ऐसे मामलों में इनपुट के संबंध में विवरणी से कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ट्रान-1 की तालिका 5(ए) में प्रविष्टि शून्य होना चाहिए। ऐसे मामलों में, केवल इनपुट के क्रेडिट और अर्ध-निर्मित माल के

इनपुट ही उपलब्ध होगी जो पारगमन के दिन भण्डार में मौजूद था और जिसके लिए धारा 140 (3) में निर्धारित शर्तें पूरी की गई हैं।

छ: कमिश्नरियों[60] में सात मामलों के संबंध में, हमने ऊपर उद्धृत प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 7.16 करोड़ ***(परिशिष्ट-IV)*** *के* राजस्व सहित छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ देखा।

जब हमने इस विषय में बताया (नवंबर 2018 से अगस्त 2020 के बीच), तो मंत्रालय ने चार मामले में टिप्पणी स्वीकार करते हुए ₹ 5.42 लाख की वसूली की सूचना दी (नवंबर से दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी उदाहरण मामला नीचे दिया गया है:-

कोयंबटूर लेखापरीक्षा कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता, विस्कोज स्टेपल फाइबर्स (वीएसएफ) के निर्माता ने तालिका 5(ए) में सेनवेट क्रेडिट के अन्त: शेष के अग्रेषण के प्रति ₹ 1.94 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया। प्राप्त क्रेडिट का पूरा उपयोग किया गया।

चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 55101110 के अंतर्गत आने वाले वीएसएफ के विनिर्माण को अधिसूचना संख्या 30/2004-सीई, दिनांक 9 जुलाई 2004 के अनुसार उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, अत: करदाता इनपुट और इनपुट सेवाओं पर किसी भी सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने का पात्र नहीं था तथा इसलिए तालिका 5(ए) में कोई क्रेडिट का शेष अग्रेषण के लिए पात्र नहीं था। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 1.94 करोड़ के अंत: शेष के अग्रेषण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि क्रेडिट का पूरा उपयोग किया गया था, अत: ₹ 96.83 लाख की राशि पर 24 *प्रतिशत* ब्याज भी करदाता से वसूल योग्य था।

जब हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2020), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि करदाता ने केवल सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रोद्भूत योग्य क्रेडिट का अग्रेषण

---

[60] कोयंबटूर, कोयंबटूर (ऑडिट), गांधीनगर, मदुरै, गुंटूर और अहमदाबाद दक्षिण

किया है, पूर्ववर्ती शुल्कयोग्य प्रशासन से, और 2008-09 की अवधि के बाद से, निर्धारिती दोनों अधिसूचनाओं संख्या 29/2004-सीई (आंशिक रूप से छूट) और 30/2004-सीई (पूरी तरह से छूट प्राप्त) दिनांक 9 जुलाई 2004 के अंतर्गत परिचालन कर रहा था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि ईआर-1 डाटा का उपयोग करने पर, पात्र अग्रेषित क्रेडिट अप्रैल, 2008 तक ₹ 1.71 करोड़ है और करदाता ने छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल पर इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया है। करदाता ने अधिसूचना 29/2004-सीई दिनांक 9 जुलाई 2004 के अनुसार शुल्कयोग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उदाहरणों में ही कच्चे माल पर क्रेडिट का लाभ उठाया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत, जनवरी से जून 2017 की अवधि के ईआर-1 विवरणी की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि करदाता ने वास्तव में अधिसूचना संख्या 30/2004-सीई दिनांक 9 जुलाई 2004 के अंतर्गत छूट का लाभ उठाकर उक्त माल को मंजूरी दी थी और इसलिए, इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में तालिका 5(ए) में ₹ 1.94 करोड़ का अंत शेष अग्रेषित करना अनुचित था।

4.6.7 भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं था, या जो छूट प्राप्त माल के निर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान से जुड़ा था, या जो निमार्णकार्य अनुबंध सेवा प्रदान कर रहा था और अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून 2012 का लाभ उठा रहा था या एक प्रथम स्तर के विक्रेता या द्वितीय स्तर के विक्रेता या एक पंजीकृत आयातक या किसी निर्माता का डिपो, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में, भण्डार में रखे गए इनपुट के संबंध में पात्र शुल्कों का क्रेडिट और निर्धारित दिन पर भण्डार में रखे गए अर्ध-निर्मित या निर्मित माल के इनपुट, नामत: निम्नलिखित शर्तों के अधीन, लेने के पात्र होंगे: (i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए इस तरह के इनपुट या सामान का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना है; (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत

ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है; (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत शुल्क का भुगतान करने वाले बीजक या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज अधीन है; (iv) इस तरह के चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज निर्धारित दिन से पहले बारह महीने से पहले तक जारी नहीं किए गए थे; और (v) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं है।

बशर्ते कि, जहां किसी निर्माता या किसी सेवा के प्रदाता की अपेक्षा पंजीकृत व्यक्ति इनपुट के संबंध में शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में किसी चालान या अन्य किसी दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आते, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अंतर्गत होगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उक्त करयोग्य व्यक्ति प्राप्तकर्ता को कम कीमतों के माध्यम से ऐसे क्रेडिट के लाभ को पारित करेगा, जिस ढंग से निर्दिष्ट किया गया हो उसे ऐसी दर पर क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाए।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार कर अधिकारियों को उन मामलों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने की आवश्यकता है, जहां छूट प्राप्त माल से संबंधित जानकारी के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा में पंजीकृत एक निर्धारिती द्वारा क्रेडिट दिखाया जा रहा है, और ध्यान से जांच करने के लिए कि क्या निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के प्रावधानों का पालन किया है।

चयनित चार[61] सीजीएसटी कमिश्नरियों में 333 में से 167 ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, पांच मामलों में हमने करदाताओं द्वारा ₹ 7.69 करोड़ की राशि के भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावे को देखा।

[61] बेलापुर, भिवंडी, मुंबई दक्षिण और पुणे ।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

पुणे-1 सीजीएसटी कमिश्नरी में एक करदाता ने ट्रान-1 में तालिका 7(ए)[62] के अंतर्गत ₹ 5.62 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। बीजकों/ दस्तावेजों की जांच के संबंध में, यह देखा गया कि इस तरह के इनपुट जम्मू-कश्मीर (जे एंड के) में स्थित उनकी मौजूदा पंजीकृत विनिर्माण इकाई से खरीदे गए थे। करदाता ने दिनांक 6 फरवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 1/2010-सीई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को मंजूरी दी, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित एक इकाई से उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने से मंजूरी की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत उनके द्वारा भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कारण करदाता को ₹ 4.40 करोड़ के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई थी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पीएलए के माध्यम से जे एंड के में विनिर्माण इकाई द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क भाग को प्रतिदाय के माध्यम से विनिर्माण इकाई को वापस कर दिया गया था, जिसका तात्पर्य है कि माल छूट प्राप्त था। इसलिए, करदाता की जे एंड के इकाई से खरीदे गए भण्डार में पड़ा माल ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे के लिए पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप भण्डार में माल पर ₹ 5.62 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा गलत था, जिसकी वसूली करने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2019), तो विभाग ने कहा (जून 2019) कि जम्मू एवं कश्मीर में अपनी इकाई से शुल्क के भुगतान पर करदाता द्वारा प्राप्त रद्द माल पर छूट प्राप्त माल के रूप में इस वजह से विचार नहीं किया जा सकता कि जम्मू एवं कश्मीर इकाई ने मूल्य संवर्धन पर देय शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया है। विभाग ने यह भी कहा कि करदाता ने शुल्क भुगतान दस्तावेजों के तहत माल प्राप्त किया था तथा तालिका 7(ए) के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा की गई राशि उचित और क्रमानुसार थी। तथापि, इस मामलें में एक एससीएन जारी किया जा रहा था।

---

[62] तालिका 7(ए): तालिका 5(ए) (धारा 140(3), 140(4)(बी), 140(6) और 140(7)) के तहत दावा किए गए क्रेडिट को छोड़कर क्रेडिट के रूप में दावा किए गए इनपुट पर शुल्क और करों की राशि)

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(3) में यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित है कि कथित पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के तहत शुल्क के भुगतान का प्रमाण देने वाले बीजक अथवा अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए। उत्पाद शुल्क तत्व जिसका पहले ही पीएलए के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर में विनिर्माण इकाई द्वारा भुगतान किया जा चुका था, जो उस प्रतिदाय द्वारा विनिर्माण इकाई को वापस कर दिया गया था जिससे यह पता चलता था कि माल को शुल्क भुगतान से छूट दी गई थी। पुणे में करदाता ने अपनी जम्मू एवं कश्मीर इकाई से कर बीजक के कवर के तहत माल प्राप्त किया तथा तालिका 7(ए) के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। ऐसे क्रेडिट के दावे के परिणामस्वरूप एक बार प्रतिदाय के रूप में तथा दूसरी बार ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में करदाता को अनुचित दोहरा लाभ हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.6.8 ईआर-1/एसटी-3 विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के इच्छुक व्यक्ति के अलावा, एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियम तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि का हकदार उस रूप में होगा जैसा कि इस शर्त के अध्यधीन निर्धारित किया गया हो कि पंजीकृत व्यक्ति को नियत तिथि से तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत सभी विवरणी दाखिल करनी होगी।

धारा 50(3) यह अनुबंधित करती है कि करयोग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उपधारा (10) के तहत इनपुट कर क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उपधारा (10) के तहत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, वह ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर अथवा ऐसी अनुचित या अधिक कमी जैसा भी मामला हो, पर चौबीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 4.3 में कर अधिकारियों को ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले करदाता द्वारा पिछली छः माह की विवरणी की प्रस्तुति का सत्यापन करना अपेक्षित है।

चार कमिश्नरियों[63] में नमूना जांच के दौरान, हमने अपेक्षित ईआर-1/एसटी-3 विवरणी दाखिल किए बिना चार करदाताओं द्वारा ₹ 2.34 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ लेते पाया ***(परिशिष्ट-IV)***।

ये मामलें जून तथा अगस्त 2020 के बीच मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

चेन्नई आउटर कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता ने ट्रांज-1 घोषणा के माध्यम से ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में जून 2017 की ईआर 1 विवरणी (17 नवम्बर 2017 को विलंब से दाखिल की गई) में ₹ 25.34 लाख का अन्तः शेष अग्रेषित किया। तथापि, करदाता ने जनवरी से मई 2017 तक की अवधि हेतु ईआर-1 विवरणी दाखिल नहीं किया था जिससे उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के लिए करदाता को अयोग्य घोषित किया गया। इसलिए, ट्रांजिशनल क्रेडिट की ₹ 25.34 लाख की संपूर्ण राशि की ₹ 13.68 लाख के ब्याज सहित वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि, नियत तिथि से पूर्व लगातार छः माह तक ईआर-1 विवरणी दाखिल न करने के मामलें को सिस्टम द्वारा चिन्हित किया गया, तथापि, रेंज अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ट्रांजिशनल क्रेडिट को अस्वीकृत न करके इस पर कार्रवाई करने में विफल रहा।

जब हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2019) तब विभाग ने कहा (फरवरी 2020) कि करदाता को ब्याज सहित ₹ 25.34 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

---

[63] बैंगलुरू साउथ, बेलापुर, पुणे-I तथा चेन्नई आउटर

4.6.9 ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा जो इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल के दायरे में नहीं आता

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) अनुबंधित करती है कि धारा 10 के तहत कर भुगतान के इच्छुक व्यक्ति के अलावा एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि के लिए विवरणी में अग्रेषित न किए गए पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए सेनवेट क्रेडिट के क्रेडिट का हकदार उस रूप में होगा जैसा निर्धारित है बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कथित क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो तथा इस अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

कथित अधिनियम की धारा 140(3) में प्रावधान है कि प्रथम चरण में विक्रेता अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में नियत तिथि पर भण्डार में रखे इनपुटों के संबंध में योग्य शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

तीन कमिश्नरियों[64] में नमूना जांच के दौरान, हमने तीन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिटों के अनियमित दावे देखे जो उक्त उद्धरित प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ₹ 0.69 करोड़ ***(परिशिष्ट-IV)*** के राजस्व वाले इनपुटों, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल के दायरे में नहीं आते।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त तथा दिसम्बर 2019 के बीच), तब मंत्रालय ने एक मामलें में आपत्ति को स्वीकार करते हुए ₹ 18.83 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2020)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 के नियम 2(l) यथा संशोधित के अनुसार, 'इनपुट सेवा' से तात्पर्य उस सेवा को प्रदान करने के लिए आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी सेवा से है। सीसीआर के

---

[64] चेन्नई आउटर, गुन्टुर तथा मेडचल

नियम 3 में यह प्रावधान है कि आउटपुट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क तथा करों का क्रेडिट लेने की स्वीकृति दी जाएगी जिसके तहत आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किसी इनपुट सेवा पर भुगतान किया जाएगा।

वलाजाबाद रेंज, मराईमलाई नगर डिवीजन, चेन्नई आउटर कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि व्यवसाय सहायक सेवा प्रदान करने में संलग्न एक करदाता, एक प्रथम चरण के विक्रेता ने धारा 140(1) के अनुसार तथा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(3) के तहत नियत तिथि पर भण्डार में रखे इनपुटों पर भुगतान किए गए शुल्क पर ₹ 59.49 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लिया।

हमने देखा कि तत्कालीन कानून के तहत करदाता ने ₹ 18.83 लाख की गोदाम किराया राशि पर भुगतान किए गए सेवाकर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया तथा इसे क्रेडिट बकाया के रूप में अग्रेषित किया। गोदाम को आगामी बिक्री हेतु रखे आयातित माल को संग्रहित करने के लिए पट्टे पर लिया गया था तथा इसका करदाता द्वारा प्रदत आउटपुट सेवा से कोई संबंध नहीं था जो मुख्य कंपनी से प्राप्त बिक्री कमीशन की वजह से था। इसलिए, आयातित माल का भण्डारण करने के लिए भुगतान किया गया पट्टा किराया सीसीआर, 2004 में परिभाषित अनुसार "इनपुट सेवा" के दायरे में नहीं आता था। इसके फलस्वरूप, ₹ 18.83 लाख का सेवाकर क्रेडिट का लाभ लिया गया तथा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रेषित किया गया सेवा कर क्रेडिट अस्वीकार्य था तथा ₹ 10.17 लाख के ब्याज सहित करदाता से वसूली योग्य था।

जब हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह सूचना दी (अगस्त 2020) कि करदाता ने ₹ 18.83 लाख का भुगतान किया था तथा ब्याज के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

4.6.10 ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं

16 कमिश्नरियों[65] में 27 मामलों के संबंध में, हमने ₹ 17.20 करोड़ (***परिशिष्ट-IV***) के राजस्व वाले पूर्व पैराग्राफों में दर्शाए गए मामलों के अलावा

[65] गांधीनगर, बेंगलुरु ईस्ट, चेन्नई नॉर्थ, कोयम्बटूर (ऑडिट), हैदराबाद, हैदराबाद (ऑडिट-I), भुवनेश्वर, राउरकेला, बेलापुर, भिवंडी, मुंबई साउथ, पुणे-I, रांची, विशाखापत्तनम, गुंटूर और अहमदाबाद साउथ

अन्य मामलों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावे पाए।

जब हमने इस विषय में बताया (नवम्बर 2018 तथा फरवरी 2020 के बीच) तब मंत्रालय ने 13 मामलों में आपत्ति को स्वीकार करते हुए तीन मामलों में ₹ 47.31 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त तथा दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए है:-

(क) कार्य अनुबंध सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

केन्द्रीय माल तथा सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम), 2017 की धारा 140(3) में वर्णित है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जो कार्य अनुबंध सेवा प्रदान कर रहा था तथा अधिसूचना संख्या 26/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 (निर्माण) सेवाओं की श्रेणी के तहत सेवा कर का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को छूट प्रदान करता है) का लाभ भी ले रहा था, वह भण्डार में रखे इनपुटों तथा नियत तिथि पर भण्डार में रखे अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुटों के संबंध में योग्य शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

बेंगलुरू पूर्व कमिश्नरी के तहत एईडी-I रेंज में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि एक करदाता तत्कालीन सेवाकर तंत्र में आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए निर्माण कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करने में संलग्न था। करदाता द्वारा दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट का सत्यापन करते समय, हमने देखा कि करदाता ने भण्डार में रखे इनपुटों के संबंध में ₹ 4.81 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट लिया था। आगे सत्यापन से यह पता चला कि करदाता अधिसूचना संख्या 26/2012-एसटी, दिनांक 20 जून 2012 का लाभ उठाए बिना निर्माण कार्य अनुबंध सेवा के तहत सेवा कर का भुगतान कर रहा था। अत: करदाता ₹ 4.81 करोड़ के कथित क्रेडिट को अग्रेषित करने के लिए योग्य नहीं था।

हालांकि, विभाग द्वारा इस मामले को सत्यापित किया गया था तथापि, विभाग द्वारा इस चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019) तब विभाग ने कहा (अगस्त 2019) कि बैंगलुरू लेखापरीक्षा कमिश्नरी-I ने आन्तरिक लेखापरीक्षा

(मार्च 2019) के दौरान करदाता द्वारा लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट को सत्यापित किया तथा कोई विसंगति नहीं पाई।

विभाग का उत्तर सामान्य था तथा इसमें उस आधार को निर्दिष्ट नहीं किया गया जिस पर करदाता कथित क्रेडिट लेने के योग्य था। विभाग का उत्तर चूक का पता लगाने में आन्तरिक लेखापरीक्षा की विफलता को ही नहीं दर्शाता अपितु इस तथ्य को भी दर्शाता है कि इसने लेखापरीक्षा आपत्ति में दर्शाई गई चूक को वास्तविक रूप से नहीं बताया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

(ख) अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

(i) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) यह वर्णित करती है कि धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के इच्छुक व्यक्ति के अलावा, एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियम तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि का हकदार उस रूप में होगा जैसा निर्धारित है। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कथित क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो तथा इस अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) अनुबंधित करती है कि धारा 10 के तहत कर भुगतान के इच्छुक व्यक्ति के अलावा एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि के लिए विवरणी में अग्रेषित न किए गए पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए सेनवेट क्रेडिट के क्रेडिट का हकदार उस रूप में होगा जैसा निर्धारित है बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कथित क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो तथा इस अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

इसके अलावा, एक पेट्रोलियम उत्पाद होने के नाते प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है तथा इस पर मौजूदा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून लागू है।

अहमदाबाद साउथ कमिश्नरी के तहत रेंज । में ट्रान-1 घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता ने विनिर्मित उत्पादों से संबंधित सेनवेट क्रेडिट के संबंध में ₹ 2.21 करोड़ के इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया जो माल तथा सेवाकर के दायरे से बाहर है। करदाता बिक्री, खरीद, आपूर्ति, वितरण, परिवहन सहित गैस वितरण के व्यापार, प्राकृतिक गैस के व्यापार, पाइपलाइनों, ट्रकों या परिवहन के अन्य प्रकार के माध्यम से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के व्यापार में लगा है। जीएसटी तंत्र में परिवर्तन के पश्चात, निर्धारिती ने अपने उस विनिर्मित उत्पादों (प्राकृतिक गैस) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/वैट के भुगतान के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तंत्र के तहत अपना पंजीकरण अनुरक्षित रखा जोकि जीएसटी के दायरे से बाहर है। चूंकि निर्धारिती द्वारा विनिर्मित उत्पादों (सीएनजी, पीएनजी) पर जीएसटी नहीं लगता अत: इन उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित किसी इनपुट/इनपुट सेवाओं/पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट भी जीएसटी अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में अग्रेषित करने योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ के अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट को अग्रेषित किया गया जिसकी वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (नवम्बर 2019) तब आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2020) कि ड्राफ्ट एससीएन प्रक्रियाधीन था।

(ii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(1) के अनुसार, यथा निर्धारित ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन तथा धारा 49 में निर्देष्ट तरीके से प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति माल अथवा सेवा अथवा दोनों की ऐसी किसी आपूर्ति पर उस पर प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जिसे उसके व्यावसाय की अवधि अथवा सहायता में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग किए जाने हेतु अभीष्ठ है तथा कथित राशि को ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में क्रेडिट किया जाएगा।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17(5) के अनुसार, धारा 16 की उप-धारा (1) तथा धारा 18 की उपधारा (1) में शामिल होने के बावजूद (क) मोटर वाहन तथा अन्य वाहनों के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि उनका उपयोग कर योग्य आपूर्तियां, (ख) खाद्य तथा पेय पदार्थों की आपूर्ति, आउटडोर कैटरिंग, बाह्य करयोग्य आपूर्ति करने के लिए कोई आवक आपूर्ति, (ग) किराया-ए-टैक्सी, जीवन बीमा तथा स्वास्थय बीमा केवल उसे छोड़कर जहां सरकार ने उन सेवाओं को अधिसूचित किया है जो लागू होने के समय किसी कानून के तहत किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य है, (घ) जब ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग व्यवसाय की अवधि अथवा सहायता में किया गया हो, के सहित उसके स्वयं के खाते में अचल सम्पत्ति (संयंत्र या मशीनरी के अलावा अन्य) के निर्माण के लिए एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, (ड.) निजी उपभोग के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाएं या दोनों के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। यदि इनपुट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या किसी भी कारण से उसका उपयोग किया गया है तो अधिनियम की धारा 73 अथवा 74 के तहत ब्याज सहित वसूली की जा सकती है।

भुवनेश्वर कमिश्नरी के तहत पारादीप ।। रेंज की लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2019) के दौरान, एक करदाता की जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि की जीएसटीआर-3बी विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही तथा जीएसटी आईटीसी रजिस्टर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि करदाता ने अस्वीकार्य माल अर्थात् सीमेंट, टीएमटी बार, निगम अस्पताल हेतु दवाईयों तथा सेवाओं अर्थात् सिविल कार्यों, कैंटीन, गेस्ट हाउस के खर्चों, सिविल टाउनशिप के रख-रखाव आदि पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ लिया था जोकि उक्त प्रावधानों के अनुसार अस्वीकार्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ की राशि की अस्वीकार्य मदों पर अनियमित इनपुट कर क्रेडिट लिया गया जिसे ब्याज तथा शास्ति सहित वापस करने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया (नवम्बर 2020) कि करदाता को एससीएन जारी किए गए थे।

(ग) स्रोत पर कर कटौती के मूल्य के तहत वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) यह वर्णित करती है कि जहां उचित अधिकारी को यह पता चले कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय दिया गया है अथवा जहां इनपुट कर क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है अथवा धोखाधड़ी या जानबूझकर दिए गए गलत बयान या कर अपवंचन हेतु तथ्य छुपाने के कारणों के अलावा अन्य किसी कारण हेतु उपयोग किया गया हो, तो वह उस कर के प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जिसका भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिसका कम भुगतान किया गया है अथवा जिसको गलती से प्रतिदाय दिया गया है अथवा जिसने गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट लिया है या उपयोग किया है, जिसमें उसे वह कारण बताना अपेक्षित है कि उसे धारा 50 के तहत देय ब्याज इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बने नियमों के तहत उद्ग्राह्य शास्ति सहित नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नही करना चाहिए।

रांची सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत आने वाले के गिरिडीह डिवीजन में रेंज ।। ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता ने ट्रान-1 घोषणा के माध्यम से ₹ 2.16 करोड़ के वैट क्रेडिट का दावा किया। सत्यापन के पश्चात् राज्य कर प्राधिकरण ने केन्द्रीय कर प्राधिकरण को सूचना दी कि करदाता द्वारा ₹ 2.16 करोड़ का आईटीसी दावा अस्वीकार्य था क्योंकि कथित राशि स्रोत पर कर कटौती की राशि थी। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत कार्रवाई आरंभ की जानी थी। तथापि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि तक (दिसम्बर 2018) धारा 73 के तहत कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

जब हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2018), तब मत्रांलय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह कहा (सितम्बर 2020) कि अयोग्य आईटीसी की वसूली के लिए धारा 73 के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(घ) समान सेनवेट क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट तथा प्रतिदाय दोनों का अनियमित रूप से अनुमत करना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142(3) में यह प्रावधान है कि मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए सेनवेट क्रेडिट, शुल्क, कर, ब्याज की राशि या किसी अन्य राशि के प्रतिदाय के लिए नियत तिथि से पूर्व, उस पर अथवा उसके पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए प्रतिदाय के प्रत्येक दावे को मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा तथा उसके प्रति प्रोद्भूत किसी राशि का भुगतान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा अन्य मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत निहित के विपरीत होने के बावजूद नकद में किया जाएगा। बशर्ते कि जहां सेनवेट क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु किसी दावे को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाएं, वहां अस्वीकार की गई राशि समाप्त हो जाएगी। आगे प्रावधान है कि जहां नियत तिथि तक कथित राशि के बकाया को ट्रान-1 के माध्यम से अग्रेषित किया गया है, वहां सेनवेट क्रेडिट की किसी राशि पर कोई प्रतिदाय स्वीकृत नहीं होगा।

पुणे-I सीजीएसटी कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता ने ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 1.54 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। हमने देखा कि करदाता ने जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 तथा अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि हेतु सेवाओं के निर्यात के प्रति अधिसूचना संख्या 27/2012-सीई (एनटी) दिनांक 18 जून 2012 के साथ पठित सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 5 के तहत ₹ 1.54 करोड़ की समान राशि के दो प्रतिदाय दावे दाखिल किए थे। कथित प्रतिदाय दावों को करदाता के लिए संस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.54 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट जिसके लिए प्रतिदाय संस्वीकृत किया गया है, उसकी वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि इस मामले को विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था अत: यह इस चूक को नहीं दर्शाता।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2019) तब विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया (जून 2019) कि ₹ 1.38 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी तथा ₹ 15.76 लाख की बकाया राशि की वसूली की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

प्रणालीगत मुद्दा

4.6.11 अपर्याप्त अभिलेखों पर विभाग द्वारा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन

बोर्ड ने ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाली 14 जांच निर्धारित की थी। इन 14 जांच को करने के लिए विभिन्न रिकॉर्ड/सूचना अपेक्षित थी। दिर्शानिर्देश लेख के पैरा 13.1 के अनुसार, यह निर्देश भी दिए गए थे कि करदाता से संपर्क किए बिना विभाग के पास पहले से ही उपलब्ध डाटा के आधार पर ट्रान-1 क्रेडिट को सत्यापित करने के लिए अग्रणी प्रयास किए जाने चाहिए। जहां ऐसे सत्यापन के लिए करदाता से संपर्क करने की आवश्यकता होती है वहां पर्याप्त लीड समय देने तथा उस विशिष्ट सूचना को मांगने के लिए एक पत्र लिखा जाएं जो उक्त सूचीबद्ध चौदह जांच बिन्दुओं के अनुसार सत्यापन में सहायता करेगी। संबंधित कमिश्नरी में प्राप्त किए गए परिणामों के रिकॉर्ड अनुरक्षित किए जाएंगे तथा उस तिमाही जिसमें सत्यापन पूर्ण किया गया हो, के अगले माह की 10 तारीख पर अथवा उससे पूर्व बोर्ड को सूचना दी जाएंगी।

केस फाइलों में उपलब्ध रिकॉर्डों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुणे-। तथा बेलापुर, के सीजीएसटी कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा ने सभी ट्रान-1 सत्यापित मामलों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। केस फाइलों के अवलोकन पर, यह देखा गया कि केस फाइलों में रिकॉर्ड तथा सूचना बहुत सीमित थी बल्कि प्रस्तुत केस फाइलों में ट्रान-1 फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही, ट्रान-1 फार्म की विभिन्न तालिकाओं में दावा

किए गए क्रेडिट का विवरण, पिछले 6 माह के लिए ईआर-1/एसटी-3 विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही आदि की प्रति जैसे मूल रिकॉर्ड/सूचना भी उपलब्ध नहीं थी। ट्रान-1 सत्यापन फाइलों में उपलब्ध रिकॉर्ड/सूचना पूरी तरह से अपर्याप्त थी।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2019) तब विभाग ने कहा (जुलाई 2019) कि एआईओ कम्प्यूटर टर्मिनल (ऑल इन वन) पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थे क्योंकि विभाग के सभी बैक एंड सिस्टम संस्थापित नहीं थे। अत: चरण-। में की गई सत्यापन प्रक्रिया में प्रमुख रूप से उन दस्तावेजों/सूचना जो शीघ्र उपलब्ध थी अथवा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

विभाग का उत्तर दर्शाता है कि ट्रान-1 मामलों का सत्यापन बोर्ड के दिर्शानिर्देश लेख के अनुसार किया गया तथा ट्रान-1 सत्यापन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी सीमित कार्रवाई को सर्वोत्म नहीं माना जा सकता।

उक्त सभी मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

भाग ख : प्रतिदाय

4.7 प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन

अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, हमने 33 सीजीएसटी कमिश्नरियों में 23,106 में से 4,736 प्रतिदायों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमने ₹ 16.16 करोड़ की राशि वाले 280 दावों (6 प्रतिशत) में प्रतिदायों के प्रसंस्करण में मौजूदा प्रावधानों का अननुपालन देखा। इनमें से 53 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने 15 मामलों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की सूचना दी। 280 दावे जिसके प्रति सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को लेखापरीक्षा आपत्ति जारी की गई थी, में से 42 दावों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख से अधिक की धनराशि थी तथा 238 दावों में प्रत्येक मामलें में ₹ 10 लाख से कम की धनराशि थी।

इस प्रतिवेदन में छ: कमिश्नरियों में ₹ 8.26 करोड़ की धनराशि वाली पच्चीस महत्वपूर्ण आपत्तियों को शामिल (***परिशिष्ट-V***) किया गया है जैसा कि नीचे वितरण दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

देखे गए मामले	सम्मिलित कमिश्नरियां	मामलों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति की राशि
इलेक्ट्रानिक क्रेडिट खाता बही में न्यूनतम बकाया पर विचार न करने के कारण अनियमित प्रतिदाय देना	2	10	5.57
पूंजीगत माल पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति	2	3	1.18
अन्य मामले	3	12	1.51
कुल		**25**	**8.26**

इन 25 मामलों में से मंत्रालय ने ₹ 32.54 लाख की राशि वाले दो मामलों में आपत्ति स्वीकार की तथा ₹ 32.54 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त तथा अक्टूबर 2020 के बीच)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है। अनुपालन मुद्दों पर दो मामलों तथा प्रणालीगत मुद्दों पर दो मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

4.7.1 करावधि की समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही में न्यूनतम बकाया पर विचार न करने के कारण अनियमित रूप से प्रतिदाय देना

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54(3) वर्णित करती है कि करावधि की समाप्ति पर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य-दर पर आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89(3) में यह प्रावधान है कि इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु, आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही को इस प्रकार दावा किए गए प्रतिदाय के समान राशि से डेबिट किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली, 2017 का नियम 89(4) उस सूत्र का वर्णन करता है जिसके अनुसार माल या सेवाओं की शून्य-दर पर आपूर्ति में प्रतिदाय दिया जाएगा।

प्रतिदाय राशि = (माल की शून्य-दर पर आपूर्ति की कुल बिक्री + सेवाओं की शून्य-दर पर आपूर्ति की कुल बिक्री) x निवल आईटीसी ÷ समायोजित कुल कुल बिक्री

जहां "निवल आईटीसी" से तात्पर्य संबंधित अवधि के दौरान इनपुट तथा इनपुट सेवाओं पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट से है तथा प्रतिदाय राशि से तात्पर्य उस अधिकतम प्रतिदाय राशि से है जो स्वीकार्य है।

सीबीआईसी ने दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि शून्य दर पर आपूर्तियों के अनुपयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय योग्य राशि की संगणना निम्नलिखित राशि से कम से कम के रूप में की जानी हैं:

(क) सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में वर्णित सूत्र के अनुसार अधिकतम प्रतिदाय राशि;

(ख) दावेदार की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में बकाया को उस करावधि की समाप्ति पर जमा किया गया है जिसके लिए कथित अवधि हेतु प्रतिदाय के पश्चात् प्रतिदाय दावा दाखिल किया जा रहा है; तथा

(ग) लागू प्रतिदाय जमा करते समय दावेदार की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में बकाया।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142 के अनुसार, मौजूदा कानून (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा वित्त अधिनियम, 1994) के तहत भुगतान किए गए कर/शुल्क के प्रतिदाय का निपटान मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

सीबीआईसी के दिनांक 15 नवम्बर 2017 के निर्देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश भी दिया कि सभी जीएसटी प्रतिदाय आदेशों की पश्च-लेखापरीक्षा मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर की जानी है। दिनांक 16 मई 2008 के परिपत्र के पैरा 2.6 में यह वर्णित है कि पश्च-लेखापरीक्षा प्रतिदाय के मूल आदेश की तिथि के दो माह के अन्दर पूर्ण हो।

(i) केन्द्रीय कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजन पैरूम्बवूर में प्रतिदाय दावों (जनवरी 2019) की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता

ने जुलाई 2017 माह के लिए ₹ 2.56 करोड़ (सीजीएसटी के रूप में ₹ 2.34 करोड़ तथा एसजीएसटी के रूप में ₹ 22.56 लाख) के आईटीसी प्रतिदाय का आवेदन किया था (फरवरी 2018) तथा विभाग ने ₹ 2.54 करोड़ (सीजीएसटी के रूप में ₹ 2.32 करोड़ तथा एसजीएसटी के रूप में ₹ 22.04 लाख) के प्रतिदाय को संस्वीकृति दी थी (अप्रैल 2018)। तथापि, जुलाई 2017 की समाप्ति पर ईसीएल में अप्रयुक्त आईटीसी बकाया होते हुए योग्य प्रतिदाय ₹ 27.97 लाख (अर्थात् सीबीआईसी मानदंड के अनुसार कम से कम तीन राशियां) था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.27 करोड़ के सीजीएसटी प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति हुई। इसके अलावा, हमने यह देखा कि ₹ 2.54 करोड़ (सीजीएसटी के रूप में ₹ 2.32 करोड़ तथा एसजीएसटी के रूप में ₹ 22.04 लाख) के संस्वीकृत प्रतिदाय में ₹ 1.15 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट शामिल था जिसका प्रतिदाय सही नहीं था।

भले ही उक्त मामले में प्रतिदाय अप्रैल 2018, में संस्वीकृत किया गया था तथापि पश्च लेखापरीक्षा नहीं की गई जोकि सांविधिक अनुपालन के साथ-साथ अंकगणितीय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध एकमात्र जांच थी।

इसके अलावा, ₹ 3.60 लाख के एसजीएसटी प्रतिदाय को ₹ 2.27 करोड़ के अधिक सीजीएसटी प्रतिदाय के प्रति समायोजित किया गया जबकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 49(5)(एफ) केन्द्रीय कर के भुगतान के प्रति राज्य के कर अथवा संघ शासित क्षेत्र के कर के उपयोग की अनुमति नहीं देती।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2020) कि जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन के अनुसार दावा किए जाने वाले प्रतिदायों की संगणना में विवरण 3ए के अनुसार मूल्य, इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही में बकाया, अवधि के दौरान लिए गए कर क्रेडिट तथा उपयुक्त राशि (सभी में कम) सम्मिलित थी। तीन राशियों में सबसे कम की संगणना करने का विकल्प दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र के पश्चात् प्रभावी हुआ। आगे यह कहा गया कि एक सुरक्षात्मक कारण बताओं मांग भी जारी की गई है। सीजीएसटी के प्रति ₹ 3.60 लाख के एसजीएसटी के समायोजन के संबंध में, यह सूचना दी गई

कि कारण बताओं नोटिस के अधिनिर्णयन के दौरान सीजीएसटी तथा एसजीएसटी का अंतिम समायोजन किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 4 सितम्बर 2018 का परिपत्र स्पष्टात्मक प्रकृति का है तथा प्रतिदाय संबंधी मामलों पर स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उक्त उद्धरित प्रावधानों के अनुसार, प्रतिदाय को संविधि के प्रावधानों के अनुसार तीन में से सबसे कम राशि के रूप में संगणित किया जाना अपेक्षित है। प्रतिदाय मामले की पश्च लेखापरीक्षा न करवाने के पहलू पर मंत्रालय के उत्तर में उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी में डिवीजन IV के प्रतिदाय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता के दावा किए अनुसार जुलाई 2017 के माह हेतु माल की शून्य दर पर आपूर्ति के कारण ₹ 2.45 करोड़ के प्रतिदाय की संस्वीकृति की गई (जुलाई तथा सितम्बर 2018)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कथित अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने के पश्चात् करावधि की समाप्ति पर दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में ₹ 1.10 करोड़ बकाया था। इसके सबसे कम होने के नाते दावेदार ₹ 1.10 करोड़ की सीमा तक प्रतिदाय का हकदार था। इस प्रकार, ₹ 1.35 करोड़ (सीजीएसटी: 48.25 लाख, एसजीएसटी: ₹ 48.25 लाख तथा आईजीएसटी: ₹ 38.32 लाख) के प्रतिदाय की अधिक अनुमति दी गयी।

जब हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2019), तब पैरा को स्वीकार न करते हुए (मार्च 2019) विभाग ने तर्क दिया कि दिनांक 15 नवम्बर 2017 के परिपत्र बोर्ड द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रतिदाय राशि की संगणना की गई थी तथा विभाग ने निर्देशों के अनुसार केवल हस्त्य रूप से दावों को संसाधित किया था। इसके अलावा, विभाग का मत था कि प्रतिदाय योग्य राशि का निर्धारण करने की संशोधित पद्धति का अनुसरण दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र के जारी होने की तिथि के पश्चात् किया जाना था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड का परिपत्र कानून के प्रयोजन की व्याख्या करते हुए स्पष्टीकरण के स्वरूप का है। विधायिका का प्रयोजन शून्य दर पर आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी के पूर्ण प्रतिदाय को स्वीकृत न

करना था जबकि वास्तव में इसे स्थानीय आपूर्तियों के लिए देयताओं के निर्वहन हेतु आंशिक रूप से उपयोग किया गया तथा करावधि की समाप्ति पर क्रेडिट खाता बही में बकाया लिए गए आईटीसी से कम था। प्रथम दृष्टतया से यह प्रतीत हुआ कि प्रतिदाय मापांक बनाने में विसंगतियां थी तथा जैसे कि सामान्य पोर्टल ने इस बात के बावजूद प्रतिदाय दावे को स्वीकार किया कि करावधि की समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में बकाया प्रतिदाय के रूप में दावा किए गए संग्रहित आईटीसी से कम था। इसके अलावा, विभाग का यह तर्क कि दिनांक 4 सितम्बर 2018 के बोर्ड के परिपत्र में स्पष्ट किए गए प्रतिदाय का निर्धारण करने की पद्धति परिपत्र जारी होने की तिथि से लागू थी, स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.7.2 पूंजीगत माल पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति

चेन्नई आउटर कमिश्नरी के मराईमलाई नगर डिवीजन में प्रतिदाय दावों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता के करावधि अक्टूबर से दिसम्बर 2017 के लिए तीन प्रतिदाय दावों में ₹ 5.65 करोड़ के अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय को संस्वीकृत किया गया। प्रतिदाय राशि प्राप्त करने के लिए "निवल आईटीसी" की संगणना करते समय, करदाता ने पूंजीगत माल पर लिए गए ₹ 1.10 करोड़ के आईटीसी को शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति हुई जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य था। यद्यपि, प्रतिदाय दावों को पश्च् लेखपरीक्षा के लिए भेजा गया था तथापि, यह अधिक प्रतिदाय नहीं देखा गया।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2019), तब मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2020) कि ₹ 1.10 करोड़ के अधिक प्रतिदाय की वसूली ₹ 27.28 लाख के ब्याज सहित की गई थी (मार्च 2020)।

प्रणालीगत मुद्दे

4.7.3 समकक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश सूचित करने में असामान्य विलम्ब

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) अनुबंधित करती है कि सभी संदर्भों में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के अन्दर प्रतिदाय आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 91(2) में प्रावधान है कि प्रतिदाय दावे तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की संवीक्षा के पश्चात् और इस बात से प्रथम दृष्टतया संतुष्ट होते हुए कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गयी राशि को, संस्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी पावती की तिथि से सात दिन से अनधिक अवधि के अन्दर अनन्तिम आधार पर कथित आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि को स्वीकृत कर सकता है।

इसके अलावा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, केन्द्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/यूटी कर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिदाय आदेश को कर अथवा उपकर जैसा भी मामला हो, की संबंधित संस्वीकृत राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए 7 कार्यकारी दिवसों के अन्दर संबंधित समकक्ष कर प्राधिकरण को सूचना दी जाएगी। प्रतिदाय आदेशों की संस्वीकृति हेतु सीजीएसटी अधिनियम तथा नियमावली की क्रमश: धारा 54(7) तथा नियम 91(2) के तहत निर्दिष्ट समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी इसे दोहराया गया था।

मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी में प्रतिदाय दावों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि दिसम्बर 2018 तक जारी 3,730 प्रतिदाय आदेशों में से कमिश्नरी ने 16 से 195 दिनों के बीच विलम्ब के साथ राज्य कर प्राधिकरण को आगे की ओर संचरण के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय, मुम्बई में नोडल अधिकारी को ₹ 47 करोड़ वाले 972 प्रतिदाय आदेश (26 प्रतिशत) अग्रेषित किए। विभाग ने संबंधित करदाताओं को प्रतिदाय के आगामी भुगतान के लिए राज्य कर प्राधिकरण को इन आदेशों को भेजने की सही तिथि सूचित नहीं की।

इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए डाटा से यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) के दौरान राज्य कर प्राधिकरण द्वारा प्रेषित 4,519 प्रतिदाय आदेशों में से ₹ 419.37 करोड़ के 4,382 प्रतिदाय दावे (97 प्रतिशत) 16 से 383 दिनों के बीच विलम्ब के साथ प्रतिदाय दावे के भुगतान के लिए मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी द्वारा पीएओ को अग्रेषित किए गए।

विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि क्या उक्त वर्णित मामलों पर प्रतिदाय के विलम्बित भुगतान पर करदाताओं को ब्याज का भुगतान किया गया था।

इसे मार्च 2019 में विभाग के संज्ञान में लाया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.7.4 लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना

हमने जुलाई 2018 में मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी को यह सूचना दी की जीएसटी प्रतिदाय की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2018 से की जाएगी। इसके बाद, हमने अक्टूबर 2018 माह में लेखापरीक्षा हेतु 652 जीएसटी प्रतिदाय मामलों के लिए मांग पत्र जारी किए। तथापि, विभिन्न अनुस्मारकों तथा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भी, विभाग ने केवल 478 जीएसटी मामलों से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। ₹ 173.14 करोड़ के प्रतिदाय वाले शेष 174 जीएसटी प्रतिदाय मामलें (26.69 प्रतिशत) बिना कोई कारण बताए लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

भाग ग : अन्य मामले

4.8 जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के अलावा, हमने 56[66] कमिश्नरियों में नमूना जांच के दौरान जीएसटी विवरणी दाखिल न करने, जीएसटी विवरणी को दाखिल न करने वाले के जीएसटी पंजीकरण को रद्द न करने, जीएसटी का भुगतान न करने/कम भुगतान करने, जीएसटी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने आदि से संबंधित अनियमितताएं पाई।

मंत्रालय को छः कमिश्नरियों[67] के संबंध में ₹ 6.77 करोड़ की राशि की आठ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां जारी की गई थी (***परिशिष्ट-VI***)। मंत्रालय ने ₹ 5.51 करोड़ की राशि के छः मामलों में आपत्ति को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित ₹ 3.40 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अगस्त तथा दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:-

4.8.1 जीएसटी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना

जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अनुसार, इस अधिनियम अथवा इसके तहत निर्मित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित अवधि के अन्दर सरकार को कर का अथवा इसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है वह उस अवधि, जिसके लिए कर अथवा इसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, के लिए अठारह प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी दर पर ब्याज का स्वयं भुगतान करेगा जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित हो। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(2) के अनुसार, ब्याज की संगणना

---

[66] अहमदाबाद (दक्षिण), दमन, सूरत, वडोदरा प्रथम व द्वितीय, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बेलगावी, बंगलौर पूर्व, बेंगलुरू पश्चिम, बेंगलुरू उत्तर, बेंगलुरु दक्षिण, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई आउटर, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जालंधर, लुधियाना, पंचकुला, शिमला, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, दिल्ली दक्षिण, रायपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, गुंटूर, हैदराबाद, मेदचल, रंगरेड्डी, सिकंदराबाद, तिरुपति, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, राऊरकेला, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, जमशेदपुर, पटना प्रथम व द्वितीय, रांची व पटना ऑडिट, मुंबई पश्चिम, नवी मुंबई, नागपुर व हावड़ा।

[67] राउरकेला, वाराणसी, रांची, जयपुर, जमशेदपुर, आगरा

उस तिथि के बाद वाली तिथि से होगी जिस पर ऐसा कर भुगतान होने के लिए देय था। इसके अलावा, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित ब्याज दर 18 प्रतिशत है।

दिनांक 15 सितम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या 35/2017-सीटी तथा दिनांक 15 नवम्बर 2017 की संख्या 56/2017-सीटी के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उक्त अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अध्यधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कथित अधिनियम के तहत देय कर, ब्याज, शास्ति, फीस अथवा किसी अन्य राशि के प्रति अपनी देयता का निर्वहन इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही जैसा भी मामला हो, को डेबिट करके अंतिम तिथि, जिस पर उसे कथित विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, से पहले करेगा।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 68 से साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 में विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होने वाले पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करना अपेक्षित है। इसके अलावा, नियम 68 में ऐसा नोटिस जारी करने की समय सीमा सम्मिलित नहीं थी।

राउरकेला सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत राजागंजपुर रेंज में करदाताओं के जीएसटी विवरणी/अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने यह देखा कि करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान 51 से 174 दिनों के बीच विलम्ब के साथ जीएसटी (सीजीएसटी, एसजीएसटी तथा आईजीएसटी) का भुगतान किया परन्तु जीएसटी के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.15 करोड़ (एसजीएसटी पर ब्याज के प्रति ₹ 1.37 करोड़ की राशि सहित) के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2019) कि ₹ 1.03 लाख की राशि की वसूली की गई है तथा शेष राशि के लिए वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

4.8.2 जीएसटी का भुगतान न होना

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में विवरणी चूककर्त्ताओं को नोटिस की चर्चा की गयी है तथा इसमें वर्णन किया गया है कि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होता है, वहां पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उसे नोटिस जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र अथवा राज्य सरकार के खाते में कर अथवा उसके भाग का भुगतान करने में विफल होता है, वह व्यक्ति 18 प्रतिशत की दर पर स्वयं ही ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा, जिसके लिए कर या उसका कोई भाग अप्रदत्त रहता है।

रांची कमिश्नरी की डाल्टोगंज रेंज में करदाता के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक मामले में जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ। हमने यह देखा कि करदाता ने फरवरी 2018 में ₹ 14.11 करोड़ तथा मार्च 2018 में ₹ 11.23 करोड़ के सकल बिल बनाए थे जिस पर करदाता ₹ 1.27 करोड़ की जीएसटी राशि का भुगतान करने के लिए दायी था। तथापि, करदाता ने जीएसटी की देयता का निर्वहन नहीं किया था। करदाता ने लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2018) तक, फरवरी 2018 और मार्च 2018 के माह हेतु जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (सीजीएसटी - ₹ 2.01 लाख, एसजीएसटी - ₹ 2.01 लाख तथा आईजीएसटी - ₹ 1.23 करोड़) की जीएसटी राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

विभाग ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार करदाता द्वारा विवरणी प्रस्तुत न करने पर कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2018), तब मंत्रालय ने आपत्ति (नवम्बर 2020) को स्वीकार करते हुए यह कहा कि करदाता ने 185 तथा

156 दिनों के विलम्ब से फरवरी 2018 तथा मार्च 2018 माह हेतु अपनी जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल की थी तथा ₹ 2.26 करोड़ के जीएसटी का भुगतान किया गया था।

करदाता जीएसटी के विलम्बित भुगतान हेतु ₹ 19.59 लाख के ब्याज का भुगतान करने हेतु भी दायी है जिसकी स्थिति लेखापरीक्षा को अभी सूचित की जानी है।

जैसा कि ब्याज राशि के लिए, मंत्रालय ने यह कहा कि करदाता ने माननीय उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष एक याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय ने ब्याज की वसूली को रद्द/खारिज कर दिया। तथापि, विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर के लिए प्रस्ताव भेजा है।

4.8.3 जीएसटी का कम भुगतान

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 यह वर्णित करती है कि उचित अधिकारी विवरणी की सटीकता की जांच करने के लिए विवरणी तथा संबंधित विवरणों की संवीक्षा करे तथा निर्धारित तरीके से विसंगति यदि कोई हो, सूचित करे और इस पर स्पष्टीकरण की मांग करे। यदि उचित अधिकारी द्वारा सूचना देने के तीस दिनों की अवधि के अन्दर अथवा उसके द्वारा अनुमत ऐसी अन्य अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा जहां पंजीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद उस माह हेतु अपनी विवरणी में सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल होता है जिसमें ऐसी विसंगति स्वीकृत की गई है, तो उचित अधिकारी धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के तहत निहित को सम्मिलित करते हुए उचित कार्रवाई आरंभ करें अथवा धारा 73 या धारा 74 के तहत कर तथा अन्य देयताओं को निर्धारित करने के लिए कार्रवाई करें।

दिनांक 27 नवम्बर 2018 के बोर्ड के पत्र के अनुसार, सांख्यिकीय और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) डाटा विश्लेषण के माध्यम से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है तथा विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने हेतु संबंधित सीजीएसटी जोन के साथ इसे साझा करता है। इसके अलावा, जोनल मुख्य आयुक्त डीजीएआरएम से प्राप्त प्रत्येक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर मासिक फीडबैक प्रस्तुत करेगा।

जयपुर सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत सीजीएसटी रेंज XXVII की मार्च 2019 तक प्राप्त 15 (डीजीएआरएम) रिपोर्टों की नमूना जांच के दौरान, हमने यह पाया कि एक (डीजीएआरएम) रिपोर्ट में, पंक्ति संख्या 19डी में (जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी में सूचित देयता में भिन्नता से संबंधित), यह बताया गया कि करदाता द्वारा प्रस्तुत जनवरी 2019 माह के जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुसार ₹ 1.26 करोड़ की देयता में भिन्नता थी। डीजी (एआरएम) से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, रेंज अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी की संवीक्षा की तथा यह पाया कि निर्धारिती ने जीएसटीआर-1 में घोषित ₹ 1.42 करोड़ की देयता के प्रति जीएसटीआर-3बी में ₹ 0.16 करोड़ का भुगतान किया। करदाता ने विसंगतियों को स्वीकार किया तथा यह बताया कि मई 2019 के प्रथम सप्ताह में मार्च 2019 तथा अप्रैल 2019 माह के लिए विवरणी भरते समय कर मई 2019 के पहले सप्ताह में जमा कर दिया जाएगा। रेंज अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत विवरण के अनुपालन में मामलें को 'कार्रवाई पूरी हुई' के रूप में चिन्हित किया परन्तु करदाता लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात् सितम्बर 2019 तक कर का भुगतान करने में विफल हुआ। इस प्रकार, करदाता द्वारा जनवरी 2019 माह के लिए ₹ 1.26 करोड़ का कम भुगतान हुआ था।

जब हमने इस विषय में बताया (सितम्बर 2019), तब मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार न करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2020) कि मामला पहले ही उनके संज्ञान में था। फरवरी 2020 में एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा करदाता ने मार्च 2020 में राशि जमा की थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात् सितम्बर 2019 तक राशि जमा नहीं की थी तथापि, उसने विभाग को यह सूचना दी कि कर मार्च तथा अप्रैल 2019 के माह में जमा कर दिया जाएगा। तथापि, रेंज अधिकारी ने उच्च प्राधिकारियों को विवरण प्रस्तुत करते हुए मामले को 'कार्रवाई पूरी हुई', के रूप में चिन्हित किया। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने के बाद, विभाग ने फरवरी 2020 में एससीएन जारी किया तथा करदाता ने मार्च 2020 में राशि जमा की। अत: यह स्पष्ट है कि यदि लेखापरीक्षा ने इस चूक को बताया न होता तो जीएसटी की राशि अप्रदत्त

रहती क्योंकि रेंज अधिकारी द्वारा मामले को 'कार्रवाई पूरी हुई' के रूप में चिन्हित किया गया था।

4.8.4 जीएसटी विवरणी को ना दाखिल करने वालों के पंजीकरण का रद्द न होना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29(2)(बी) तथा (सी) उचित अधिकारी को जहां ''धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति ने तीन क्रमिक करावधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है तथा किसी पंजीकृत व्यक्ति ने छः माह की निरन्तर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई'', में किसी पूर्वव्यापी तिथि, जैसा वह उचित समझें, सहित उस तिथि से एक व्यक्ति के पंजीकरण को रद्द करने का प्राधिकार देती है।

आगरा सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत अलीगढ़ डिवीजन में रेंज-I तथा II में जीएसटीआर-3बी विवरणी को ना दाखिल करने वालो के डाटा की जांच (अगस्त/सितम्बर 2019) के दौरान, हमने यह देखा कि 12,694 करदाताओं में से 1,965 करदाताओं ने छः अथवा छः माह से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए अपनी जीएसटी-3बी विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, इन चूककर्त्ताओं का पंजीकरण सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 22 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात विभाग द्वारा रद्द नहीं किया गया था।

इसे सितम्बर तथा अक्टूबर 2019 में विभाग के संज्ञान में लाया गया, विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

इस अध्याय के पैराग्राफ 4.6, 4.7 तथा 4.8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए, राज्य माल एवं सेवा कर पर इसका तद्नुरूपी प्रभाव **परिशिष्ट VII** में दिया गया है।